



स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ 1008(22)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/96

दिनांक : 25/01/16

प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, (समस्त)
अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से सम्बन्धित अस्पताल, (समस्त)
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (समस्त)

परिपत्र

विषय :- अस्पतालों में इलाज के समय मरीजों को होने वाले Hospital Acquired Infection के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह संज्ञान में आया है कि अस्पतालों में आने वाले विभिन्न मरीजों को इलाज के दौरान कई बार अस्पताल जनित रोग (Hospital Acquired Infection) लग जाता है जिससे कि मरीज को स्वस्थ होने में विलम्ब या मरीज डिस्चार्ज होने के समय किसी अन्य बीमारी से भी ग्रस्त हो जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिले के निजी एवं सरकारी अस्पतालों में अस्पताल जनित रोग से बचाव हेतु नियम/प्रचलन अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे, जिससे की अस्पताल में आने वाले सभी रोगी एवं अन्य सामान्य लोगों को अस्पताल जनित रोग नहीं लगे।

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.

स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ 1008(22)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015-16/ 96

दिनांक 25/01/16

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान।
4. विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
5. विशिष्ट शासन सचिव एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. निदेशक जन स्वास्थ्य को भेजकर लेख है कि आदेशों की पालना अपने स्तर से भी सुनिश्चित करें।
7. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
8. सेन्ट्रल सर्वर रूम - ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी